ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol-2* Issue-6* July - 2017
Innovation The Research Concept

आर्थिक सुरक्षा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की समूह बीमा योजना का एक सर्वेक्षण (जनपद शाहजहाँपुर के सन्दर्भ में)

विजय कुमार गुप्ता
असिस्टेंट प्रोफेसर,
वाणिज्य विभाग,
आर्य महिला (पी0 जी0) कॉलेज,
शाहजहाँपुर

सारांश

''ऐसा कोई अक्षर नहीं जिससे मंत्र न बन सके। ऐसी कोई वनस्पति नहीं जिससे औषधि न बन सके। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो मृत्यु को प्राप्त न हो और ऐसी कोई योजना नहीं जो मृतक को उसके आश्रितों के प्रति बीमे जैसा आश्वासन दे सके।''

जीवन में व्यक्ति सदैव दुर्घटनाओं अथवा आकस्मिक कष्टों की आशंकाओं से ग्रसित रहता है। बीमारी, अयोग्यता, मृत्यु आदि ऐसे भय हैं जिनसे मनुष्य सदैव चिन्तित रहता है। साधन–सम्पन्न व्यक्ति अपने व्यक्तिगत साधनों से जीवन के इन सम्भावित खतरों से अपने बचाव की व्यवस्था कर सकते हैं, किन्तु साधारण स्थिति के व्यक्ति आय इतनी सीमित होती है कि वे उसमें से बचाकर विपत्ति के दिनों के लिए कुछ भी नहीं रख पाते। अतः उत्पादन–कुशलता की दृष्टि से यह अत्यन्त आवश्यक है कि जीवन को सम्भावित खतरों से सुरक्षा प्रदान की जाए। ऐसी कोई व्यवस्था होने पर ही व्यक्ति तन–मन से उत्पादन कार्य में संलग्न हो सकेगा। ऐसी व्यवस्था जीवन–बीमा अनुबन्ध ही है। जीवन बीमा बीमित व्यक्ति तथा इसके परिवार को विभिन्न प्रकार के लाभ, सुविधाएँ तथा बीमित की मृत्यु के पश्चात् आश्रितों को सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे परिवार की सामाजिक स्थिति भी सुरक्षित रहती है। मृत्यु के पश्चात् आश्रितों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है जिससे परिवार की सामाजिक स्थिति भी सुरक्षित रहती है।

मुख्य शब्द : समूह बीमा योजना, आर्थिक सुरक्षा

प्रस्तावना

आज जीवन की अभिलाषा, जीवन की परिभाषा को पुनः समझने के लिए विवश कर रही है, जीवन के आग्र–पीछे मृत्यु और ऊपर नीचे दुर्घटनाओं का चक्रव्यूह है, जन्म और मृत्यु के बीच की लम्बी–छोटी रेखा अनेक संकल्पों से जुड़ी है। आने वाले कल में एक सुखद आश्वासन छिपा है साथ ही भविष्य की अनिश्चितता भी। पता नहीं कब क्या हो? शिशुओं के आँसू गिरवी हों, बालाओं के सपनें नीलाम हों, जीवन की धूप–छाँह में सुख हो या दुख, आँधी–पानी और हलचल की सरगम पर जलती, जीवन की लौ ठिठुक कर बुझ जाये या लयबद्ध हो जलती रहे, आशा का दीप लिये जीवन बीमा एक सुरक्षा कवच है, मात्र विज्ञापन नहीं। जीवन बीमा उन सिद्धान्तों की व्यवहारिक रूप है जिनके द्वारा जीवन की हानि के प्रति निश्चित शर्तों के आधीन, एक निश्चित सीमा तक बीमित को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। सामाजिक दृष्टिकोण से जीवन बीमा एक ऐसी संस्था है जो एक व्यक्ति की हानि की समूह के सभी सदस्यों के माध्यम से वहन करती है। प्रीमियम व्यक्ति का दत्तांश है और पॉलिसी की अंकित मूल्य जोखिम धन है। बीमाकर्ता निधि का निर्माण करता है और हानि होने पर भुगतान करता है। व्यक्तिगत दृष्टिकोण से जीवन बीमा हानि की अनिश्चितता को क्षतिपूर्ति की निश्चित्ता में बदल देता है। तथा व्यक्ति की चिन्ता को कम करके उसकी उत्पादकता में वृद्धि करता है। वैधानिक दृष्टिकोण से जीवन बीमा मानव जीवन पर संविदायें तैयार करने का व्यवसाय है जिसमें वे सभी संविदायें शामिल हैं जिनके द्वारा मृत्यु या अन्य आकस्मिकता होने पर धन के भुगतान का आश्वासन दिया गया है।

अध्ययन का उद्देश्य

प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य भारतीय जीवन बीमा निगम की समूह बीमा योजना का लोगों में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने में भूमिका का अध्ययन करना है।

समूह बीमा योजना एवं आर्थिक सुरक्षा

भारत एक विकासशील राष्ट्र है जहाँ सामाजिक पिछड़ेपन और निर्धनता का साम्राज्य है विकासशील राष्ट्र होने के कारण भारत के सामने अनेक समस्यायें हैं। कृषि की प्रधानता के कारण लोगों की आर्थिक सुदृढ़ता सदैव संदिग्ध बनी रहती है, जनसंख्या वृद्धि के कारण आश्रितों की जनसंख्या बढ़ती जाती है जबकि प्रतिव्यक्ति आय स्तर नीचे गिरता जाता है। सम्पत्ति एवं आय के वितरण में असमानता भी आर्थिक सुरक्षा का वातावरण निर्मित नहीं होनी देती है। बेरोजगारी अथवा अर्थ बेरोजगारी निम्न प्रत्याशित आयु सदैव आर्थिक असुरक्षा का भय लोगों के मन में बनाये रहती है। अशिक्षा, जातिवाद धार्मिक रीति रिवाजों की अनिवार्यता और धार्मिक दंगों ने आर्थिक सुरक्षा पर प्रश्न–चिन्ह लगा दिया है। ऐसे में भावी आर्थिक सुरक्षा तथा आश्रितों के आर्थिक भविष्य को सुरक्षित बनाने की दृष्टि से बीमा अत्यन्त व्यवहारिक एवं उपयोगी उपाय है।

आर्थिक सुरक्षा की अवधारणा

सामान्यतः आर्थिक सुरक्षा से अभिप्राय आर्थिक रूप से सुरक्षित माना जाता है जो आपत्तिकाल से लगाया जाता है अर्थात् वह परिवार या व्यक्ति आर्थिक रूप से सुरक्षित माना जाता है जो आपत्तिकाल के लिए पर्याप्त धन बचाकर रखता है। भारत में अधिकांश जनता मध्यम या निम्न आय वर्ग की है। अतः एक ओर तो आय अत्यन्त सीमित है तथा दूसरी ओर परिवार का आकार बड़ा होने के कारण व्यय अधिक है जिससे भविष्य के लिए बड़ी बचत करना कठिन है, साथ ही बेरोजगारी के कारण परिवार के केवल एक या कुछ लोगों को ही रोजगार प्राप्त है। लड़कियों के विवाह, बच्चों की शिक्षा, धार्मिक संस्कारों तथा सामाजिक रीति रिवाजों पर पर्याप्त व्यय करना पड़ता है। अतः आय अर्जित करने वाले व्यक्ति को आय के प्रयोग की एक ऐसी योजना बनानी पड़ती है कि दुर्घटना होने पर उसकी आर्थिक क्षतिपूर्ति हो सके और किसी आकस्मिकता की दशा में परिवार को आर्थिक रूप से असुरक्षा का सामना न करना पड़े। इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर भारी मात्रा में पैसा बचाकर अलग रख पाना उपर्युक्त परिस्थितियों में सम्भव नहीं होता है। अतः भारतीय परिस्थितियों में आर्थिक सुरक्षा से अभिप्रायः एक ऐसी स्थिति से है जिसमें व्यक्ति वर्तमान लघु बचत के द्वारा भविष्य के प्रति एक बड़ी धनराशि के बराबर आर्थिक कवच प्राप्त करता है बीमा द्वारा की गई बचतें बीमित व्यक्ति को मृत्यु या अन्य बचतें बीमित व्यक्ति को मृत्यु या अन्य दुर्घटना के प्रति आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है क्योंकि बीमा प्रसंविदा में यह निश्चित होता है कि कोई आकस्मिता घट जाने पर पूरा बीमा धन या शर्तानुसार निश्चित बीमा धन संदेय होगा चाहें कितना ही कम प्रीमियम क्यों न चुकाया गया हो। इस प्रकार बीमा की दृष्टि से आर्थिक सुरक्षा से अभिप्रायः जीवन के जोखिम के विरुद्ध आर्थिक सुरक्षा से है।

समूह बीमा योजना और आर्थिक सुरक्षा की भावना

आर्थिक समृद्धि हेतु अनेक आर्थिक तत्वों के साथ–साथ समाज में आर्थिक सुरक्षा की भावना विकसित होना भी आवश्यक है। जब तक समाज दुर्घटनाओं या जोखिम के प्रति स्वयं को आर्थिक रूप से सुरक्षित अनुभव नहीं करता जब तक वह अपनी बचतों को गतिशील करने में संकोच अनुभव करता है आर्थिक सुरक्षा की भावना जोखिम उठाने के साथ और उद्यमता को भी प्रोत्साहित करती है।

जनपद शाहजहाँपुर में समूह बीमा योजना का आर्थिक सुरक्षा की भावना के विकास पर प्रभाव

जनपद शाहजहाँपुर में समूह बीमा योजना का आर्थिक सुरक्षा की भावना के विकास पर प्रभाव जनपद शाहजहाँपुर में संचालित समूह बीमा योजना समाज के विभिन्न वर्गो में आर्थिक सुरक्षा की भावना विकसित करने में सफल रही है अथवा नहीं यह जानने के लिए उद्देश्य से प्रतिदर्ष में सम्मिलित व्यक्तियों से तीन प्रश्न क्रमांक 1, 2 ,व 3 पूछे गये जिनमें प्राप्त के आधार पर तालिका संख्या– 1 निर्मित की गई जो निम्नवत् हैः–

तालिका संख्या–1

समूह बीमा योजना की आर्थिक सुरक्षा की भावना विकसित करने में भूमिका

प्रश्न/कथन	परम्परागत समूह		गैर परम्परागत समूह		कुल	
	हाँ	नही	हाँ	नही	हाँ	नही
1. क्या आपको ऐसा लगता है कि समूह बीमा के कारण आपका भविष्य आर्थिक दृष्टि से सुरक्षित है?	129 (89)	16 (11)	326 (92)	29 (8)	455 (91)	45 (9)
2. क्या आपके मत में आर्थिक सुरक्षा की दृष्टि से समूह बीमा योजना किसी अन्य बचत योजना की अपेक्षा श्रेष्ठ है?	87 (60)	58 (40)	334 (94)	21 (6)	421 (84)	79 (16)
3. क्या आप आर्थिक सुरक्षा के लिये अपने साथियों को भी समूह बीमा योजना अपनाने की राय देते हैं?	126 (87)	19 (13)	337 (95)	18 (5)	463 (93)	37 (7)
योग	342 (79)	93 (21)	997 (94)	68 (6)	1339 (89)	161 (11)

नोट– कोष्ठक में दशाई गयी संख्यायें सम्बन्धित संख्या का प्रतिशत हैं।

जनपद शाहजहाँपुर में समूह बीमा योजना का आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने में योगदान

जनपद शाहजहाँपुर में निगम ने कई समूह बीमा योजनाओं तथा सामाजिक सुरक्षा समूह बीमा योजनाओं के द्वारा समाज के सामान्य या कमजोर वर्ग को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की है। यदि आर्थिक सुरक्षा को बीमा सुरक्षा के संदर्भ में देखा जाये तो जनपद में समूह बीमा योजना

द्वारा प्रदत्त आर्थिक सुरक्षा योजनावार तालिका संख्या 2 के अन्तर्गत दर्शायी गयी है जो अग्रांकित हैः–

तालिका संख्या–2

जनपद शाहजहाँपुर में समूह बीमा योजना द्वारा उपलब्ध आर्थिक सुरक्षा

योजना का नाम	बीमित व्यक्ति (संख्या)	आर्थिक सुरक्षा प्रति व्यक्ति (रू0 में)
1. बचत सम्बद्ध समूह बी.यो.	5684	47857.14
2. समूह उपदान रोकड़ संचयन यो.	94	40000
3. भूमिहीन कृषि श्रमिक समूह बी.यो.	4501	5000 से 25000
4. ग्राम्य समूह बीमा योजना	3000	5000 से 25000
5. एकीकृत ग्रामीण विकास योजना	6000	5000 से 25000
6. दस्तकार हेतु सा.सु.बी.यो.	500	5000 से 25000
7. रिक्शा/ताँगा चालक हेतु सा.सु. समूह बीमा योजना	125	5000 से 25000

तालिका संख्या–3

समूह बीमा योजना की आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने में भूमिका

प्रश्न/कथन	परम्परागत समूह		गैर परम्परागत समूह		कुल	
	हाँ	नही	हाँ	नही	हाँ	नही
1. क्या आपको या आपके किसी परिचित को आवश्यकता पड़ने पर सही समय पर समूह बीमा योजना के अन्तर्गत धन प्राप्त हुआ है?	62 (43)	83 (57)	117 (33)	238 (67)	179 (36)	321 (64)
2. क्या समाज के अन्य लोग आपसे आर्थिक सुरक्षा के साधन के रूप में समूह बीमा योजना की प्रशंसा करते हैं?	112 (77)	33 (23)	313 (88)	42 (12)	425 (88)	75 (15)
3. क्या आपकी राय में वास्तव में समूह बीमा योजना में बीमित व्यक्तियों को आर्थिक सुरक्षा मिली है?	115 (79)	30 (21)	348 (98)	7 (2)	463 (93)	37 (7)
योग	289 (66)	146 (34)	778 (73)	287 (27)	1067 (71)	433 (29)

नोट– कोष्ठक में दशाई गयी संख्यायें सम्बन्धित संख्या का प्रतिशत हैं।

निष्कर्ष

समूह बीमा के अन्तर्गत बीमित अधिकतम (परम्परागत–89 प्रतिशत तथा गैर परम्परागत–92 प्रतिशत) सदस्यों ने यह अनुभव किया है कि समूह बीमा अपनाने के कारण उनको भावी आर्थिक सुरक्षा प्राप्त हुई है। इस प्रकार समूह बीमा ने बीमतों में आर्थिक सुरक्षा की भावना विकसित की है।

परम्परागत समूह के 60 प्रतिशत तथा गैर–परम्परागत समूह के 94 प्रतिशत। लाभार्थियों का मानना है कि आर्थिक सुरक्षा के लिए समूह बीमा योजना किसी अन्य बचत योजना की अपेक्षा श्रेष्ठ है। इस प्रकार समूह बीमा योजना बचत के साथ श्रेष्ठ आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है।

आर्थिक सुरक्षा की दृष्टि से समूह बीमा योजना को लाभार्थियों का विश्वास प्राप्त है इसलिए परम्परागत समूह के 87 प्रतिशत लाभार्थी तथा गैर–परम्परागत समूह के 95 प्रतिशत लाभार्थी अपने अन्य गैर बीमित साथियों को भी समूह बीमा कराने का परामर्श देते हैं।

जनपद शाहजहाँपुर में परम्परागत समूह बीमा योजनाओं के अन्तर्गत न्यूनतम 10,000 प्रति व्यक्ति तथा अधिकतम 1,20,000 रू. प्रति व्यक्ति की दर से आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध है। सर्वाधिक 2017 व्यक्तियों को 60,000 रू. प्रति व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा प्राप्त है जबकि सबसे कम 94 व्यक्तियों को 40,000 रू. प्रति व्यक्ति की सुरक्षा प्राप्त है। धनराशि की दृष्टि से सर्वाधिक 1,20,000 रू. प्रति व्यक्ति की सुरक्षा जनपद के महाविद्यालयों में अध्यापनरत 97 अध्यापकों का प्राप्त है।

जनपद के लाभार्थियों का अनुभव है कि समूह बीमा नें उन्हे वास्तव में आर्थिक सुरक्षा प्रदान की है। परम्परागत समूह के 79 प्रतिशत और गैर–परम्परागत समूह के 98 प्रतिशत लाभार्थियों का कहना है कि योजना के अर्न्तगत बीमित व्यक्तियों आर्थिक सुरक्षा प्राप्त होती है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *बाजपेई ओ. पी. –जीवन बीमा*
2. *गनी, पी. ए. एस.–भारत में जीवन बीमा*
3. *अग्रवाल नवीन – भारतीय जीवन बीमा निगम का विनियोग प्रबन्धन*
4. *Federation of Insurance Institutes-Group Insurance and retirement benefit schemes*
5. *Agarwal Nikhil- Disclosure and Transparency in Financial statement of LIC of India*
6. *Government of India- Principal of Life Insurance Corporation.*
7. *Human & Devid- Life Insurance in form of Investment*